शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार
प्रकाशन का 49 वां वर्ष
ई–पेपर
www.facebook.com/shailsamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
वर्ष 49 अंक–50 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 2–9 दिसम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिये प्रस्तावित लैंड सीलिंग संशोधन पर उठते सवाल

- ➢ क्या दान में मिली जमीनों को दानकर्त्ता की सहमति के बिना बेचा जा सकता है?
- ➢ राधा स्वामी सत्संग ब्यास को कृषक का दर्जा हासिल होने के बाद क्या वह सामान्य कृषक की तरह जमीन खरीद–बेच सकता है।

शिमला/शैल। पिछले दिनों राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा हमीरपुर के भोटा में संचालित अस्पताल का प्रकरण चर्चा में आया है। इस अस्पताल के प्रबंधन ने सरकार से आवेदन किया था कि इस अस्पताल की जमीन को उनके सहयोगी संस्था महाराज जगत मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया जाये। क्योंकि इसके कारण राधा स्वामी सत्संग ब्यास को 2.5 करोड़ का वार्षिक जीएसटी अदा करना पड़ रहा है। जबकि अस्पताल लगभग नि:शुल्क सेवा कर रहा है। राधा स्वामी सत्संग ने यह भी कह दिया था कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वह पहली दिसम्बर से अस्पताल को बन्द कर देंगे। राधा स्वामी सत्संग के इस कथन पर स्थानीय जनता की तीव्र प्रतिक्रियाएं आयी। हमीरपुर के कई स्थानों पर जनता ने यातायात बाधित कर दिया। लोगों की इस प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने वस्तुस्थिति का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने पहली दिसम्बर को बैठक बुलाई और उसके बाद घोषित किया कि विधानसभा के आगामी सत्र में इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन लाया जायेगा। इस प्रस्तावित संशोधन का मसौदा मंत्रिमण्डल की आगामी बैठक के लिये जा चुका है। इस प्रस्तावित संशोधन के आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेंगे यह देखना आवश्यक हो जाता है।

लैंड सीलिंग एक्ट प्रदेश में 1974 में पारित हुआ और 1971 से लागू हुआ। इस एक्ट के मुताबिक प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सिंचाई वाली जमीन पचास बीघा एक फसल देने वाली पचहत्तर बीघा बगीचा डेढ़ सौ बीघा जमीन रख सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में यह सीमा 350 बीघा है। यदि किसी के पास सारी जमीन पत्थर खड्ड़े या ढॉक आदि जो फसल के नाम पर जमीन की परिभाषा में ही न आती हो तो भी वह 30 स्टैंडर्ड एकड़ अर्थात 316 कनाल या 161 बीघा से अधिक जमीन का मालिक नहीं ।हो सकता। एक्ट के अनुसार सीलिंग से अधिक जमीन केवल सरकार, राज्य और केंद्र या सरकारी सभाएं ही रख सकती हैं। लेकिन सरकारों ने इस एक्ट में समय–समय पर संशोधन भी किये हैं। भोटा में राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने 1990–91 में अस्पताल खोलने की योजना बनायी। उस समय जुलाई 1991 में शांता कुमार ने इन्हें कृषक का दर्जा प्रदान कर दिया। क्योंकि प्रदेश में कई ग्राम मन्दिरों को यह दर्जा इसलिये हासिल था क्योंकि मन्दिर पर आश्रित परिवार उस जमीन पर खेती करके अपना गुजर बसर करता था। लेकिन राधा स्वामी सत्संग ब्यास को दान में मिली जमीनों पर डेरे के लोग स्वयं खेती नहीं करते थे। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी आयी हुई है कि 2015–16 में 208 स्थानों पर लोगों से 65 एकड़ जमीन दान में मिली है। प्रदेश में इस समय राधा स्वामी सत्संग ब्यास के 900 से ज्यादा सत्संग घर है और 6000 बीघा से ज्यादा जमीन है तथा हजारों प्रदेश में इसके अनुयायी हैं। जिनके वोट हर राजनीतिक दल को चाहिये।

इसलिये 1990–91 में इसे कृषक का दर्जा प्रदान कर दिया गया। उसके बाद धूमल सरकार में धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं को सीलिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया। वीरभद्र सरकार में भी यह छूट जारी रही और यह शर्त लगा दी गई कि यह अपने मूल उद्देश्य से बाहर नहीं जाएंगे। अब हिमाचल में राधा स्वामी सत्संग के पास करीब 6000 बीघा जमीन है जो दान में मिली है। इस जमीन पर कृषक का दर्जा हासिल होने के बाद कोई भी कृषक जमीन की खरीद बेच का पात्र हो जाता है। फिर दूसरे संशोधन में सीलिंग की सीमा से ही बाहर हो गये। लेकिन क्या इन संशोधनों के माध्यम से यह जमीन बेचना आसान हो जायेगा? शायद नहीं क्योंकि डेरे के सेवक स्वयं इन जमीनों के काश्तकार नहीं है और न ही इस पर निर्भर हैं। ऐसे में डेरे के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वह इस 6000 बीघा जमीन का क्या करें। इसलिये यदि अब सुक्खू सरकार भोटा अस्पताल की जमीन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर करने का संशोधन पारित कर देती है तो फिर प्रदेश में जिन उद्योगों, विद्युत परियोजनाओं, विश्वविद्यालयों के पास सीलिंग से अधिक जमीन है वह सब भी ऐसी ट्रांसफर की मांग करेंगे और उन्हें इन्कार करना कठिन हो जायेगा। लेकिन राधा स्वामी प्रकरण में भी यह जमीने दान में मिली होने से यह प्रश्न उठेगा की दानकर्त्ता की सहमति के बिना इन जमीनों का कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि सुक्खू सरकार इसका कैसे हल निकलती है क्योंकि 2014 में सीलिंग एक्ट में छूट देते हुये यह राईडर लगा दिया गया था कि इन जमीनों को सेल, लीज, गिफ्ट या मार्टगेज नहीं किया जा सकता। यदि सरकार इन सारी बंदिशो को हटा देती है तब सरकार पर हिमाचल ऑन सेल का आरोप लगना शुरू हो जायेगा।

वैसे सुक्खू सरकार ने 2023 में भी लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन करके बेटियों को हक देने का प्रावधान किया है। परन्तु यह संशोधन करने से पहले यहां डाटा नहीं जुटाया की 1971 से प्रदेश में सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद भी आज प्रदेश में कितने लोग हैं जिनके पास सीलिंग की सीमा 316 कनाल से ज्यादा जमीन है। इन लोगों पर सीलिंग लागू क्यों नहीं हो सकी? क्या कुछ लोगों ने सीलिंग को अंगूठा दिखाते सीमा से अधिक जमीन खरीद रखी है। इसमें संबंधित प्रशासन क्या करता रहा। यह सारे सवाल उस समय जवाब मांगेगे जब यह संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राजपत्र में अधिसूचित हो जायेगा। क्योंकि 316 कनाल से ज्यादा किसी भी किस्म की जमीन प्रदेश में कोई नहीं रख सकता है।

मुख्यमंत्री ने महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रिज मैदान शिमला में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 62वें राज्यस्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस वर्ष पहली बार राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कमाण्डर विनय कुमार के नेतृत्व में 17 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। प्लाटून कमांडर लता राही के नेतृत्व में महिला टुकड़ी दल, संबंधित कमांडर के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न जिलों की टुकड़ियों ने परेड का शानदार प्रदर्शन किया। गृह रक्षा जवानों द्वारा बैटल मार्चपास्ट और गृह रक्षा बैंड के द्वारा संगीत में प्रस्तुति भी दी गई। सुरक्षित हिमाचल थीम पर गृह रक्षा के जवानों ने आपदा प्रबंधन तकनीक को प्रदर्शित किया।

मुख्यमंत्री ने महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने, प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की जिसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृह रक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए 700 रिक्त पदों को भरेंगी। इसके अतिरिक्त, पालमपुर और कांगड़ा इकाई परिसर में एसडीआरएफ मुख्यालय के निर्माण और संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए धन आबंटित किया जाएगा। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए एसडीआरएफ नियन्त्रण कक्ष में नए दूरभाष नम्बर स्वीकृत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की क्षमताओं में सुधार करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने आपदा के कुशल प्रबंधन में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कर्मियों के समर्पित कार्यो और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आपदा प्रबंधन बल के आधुनिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आधुनिक उपकरण और पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की दिशा मे कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में एसडीआरएफ के पास 5 किलोग्राम की क्षमता तक वजन उठाने में सक्षम ड्रोन है और आपदा के प्रबंधन की दिशा में अधिक क्षमता वाले ड्रोन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

गृह रक्षा राइजिंग डे के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने गृह रक्षकों, अग्निशमन विभाग के कर्मियों और एसडीआरएफ के अतुलनीय कार्यो की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति के दौरान अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से 6 जनवरी, 2025 तक राज्यस्तरीय आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान आरम्भ किया जाएगा और इसे जनभागीदारी से सफल बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों से सामुदायिक भागीदारी से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिगत राज्य आगामी पांच वर्षो में राज्य की एक प्रतिशत आबादी को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना तैयार कर रही है। गृह रक्षा ने पिछले एक दशक के दौरान लगभग 31 हजार बचाव एवं राहत अभियान संचालित किए हैं, जिसमें 3600 बहुमूल्य जीवन और 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्पति की रक्षा की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एसडीआरएफ की अधोसंरचना में सुधार करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में गृह रक्षा को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में नामित कर रही है और एसडीआरएफ के अन्तर्गत एकीकृत किया जा रहा है ताकि त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होमगार्डस की 74 कम्पनी कार्यालयों और 12 प्रशिक्षण केंद्रों को आपदा प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत दो वर्षो में नादौन, देहरा, इंदौरा और कोटखाई में चार नए अग्निशमन केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन सेवा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 240 पद सृजित किए गए हैं तथा विभाग की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 अग्निशमन वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निशमन सेवाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए हरसम्भव सहायता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मार्च पास्ट में नरेश शर्मा के नेतृत्व में शिमला बटालियन को सर्वश्रेष्ठ बटालियन पुरस्कार से सम्मानित किया और सर्वश्रेष्ठ यूनिट का पुरस्कार कंमाडेंट जनरल सतवंत अटवाल को मिला। इसके अलावा विनोद कुमार तथा दिवंगत प्रवीण कुमार को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। दिवंगत प्रवीण कुमार का अवार्ड उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी को प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा उनमें गहरी रूचि दिखवाई।

होमगार्ड कंमाडेंट जनरल सतवंत अटवाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विभाग की गतिविधियों से अवगत करवाया।

राज्यपाल ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बाबा साहब डॉ.बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी पुण्यतिथि पर राजभवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए तथा गरीबों, शोषितों एवं वंचितों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक भेदभाव जैसी प्रवृत्तियों से मुकाबला करने में डॉ. अंबेडकर के समानता, भाईचारे एवं एकता की भावना जैसी शिक्षाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मंत्रिमंडल की 16 बैठकों में लिए गए 273 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई।

बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक मंत्रिमंडल की कुल 16 बैठकें आयोजित हुई हैं। मंत्रिमंडल की इन बैठकों में 288 निर्णय लिए गए। बैठक में अवगत करवाया गया कि 273 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित हो चुके हैं।

बैठक में शेष 15 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई जिनमें वन, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, बागवानी, उद्योग, राजस्व, परिवहन, कृषि और कार्मिक विभाग से जुड़े निर्णय शामिल थे।

जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यशैली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिए गए यह निर्णय शीघ्र कार्यान्वित किए जाएं ताकि आम जनता को लाभ मिल सके।

बैठक में सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन और संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कुलविंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धः स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों के साथ गुणवत्तापूर्ण दवाओं के सन्दर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जनवरी 2023 से अक्तूबर, 2024 तक 142 निरीक्षण किए गए हैं। यह निरीक्षण राज्य निरीक्षण अधिकारियों ने केंद्रीय निरीक्षण अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किए हैं। इसके तहत दवाएं मानकों पर सही न पाई जाने वाली 116 दवा निर्माण कम्पनियों के विरूद्ध निलम्बन, रद्दीकरण और निर्माण रोकने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाईयां तैयार न करने की स्थिति में दवा कम्पनियों के सम्बंधित उत्पाद को एक से दो माह की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाता है और इसके साथ ही जिन राज्यों में निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा ऐसे सेम्पल एकत्रित किए गए उनके अधिकार क्षेत्र में कम्पनियों के विरूद्ध न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। कम्पनियों को उनके विनिर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के निर्देश जारी किए जाते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का फार्मासुटिकल हब है और प्रदेश में लगभग 33 प्रतिशत दवाओं का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर नाट-ऑफ-स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रतिशतता 3.16 प्रतिशत है, इसकी तुलना में गत तीन वर्षो के दौरान प्रदेश की प्रतिशतता 1.22 प्रतिशत है जोकि राष्ट्रीय प्रतिशतता से 50 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि अवमानक गुणवत्ता के रूप में घोषित किए गए नमूनों से सम्बंधित डाटा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को प्रस्तुत किया जाता है जिसे नियमित रूप से वैबसाइट में प्रदर्शित किया जाता है ताकि लोगों को अवमानक दवाइयों की जानकारी मिल सके।

बैठक में प्रदेश के दवा विक्रेताओं को नशे में दुरूपयोग होने वाली सम्भावित दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर पर्ची पर स्टेंप लगाने की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया गया ताकि एक ही पर्ची पर बार-बार दवाओं की खरीद को रोका जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों में नशीली दवाओं की आदत एक गम्भीर विषय है। बच्चों को बिना पर्ची के दवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और जन जागरूकता फैलाकर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, राज्य ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर और विभिन्न जिलों के ड्रग नियंत्रक अधिकारियों ने भाग लिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

ग्रामीण विकास विभाग और अंबुजा सीमेंट्स के बीच हुआ एमओयू

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए आज अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी के तहत, अंबुजा सीमेंट्स अपने सीमेंट भट्टों में गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे को सह-प्रसंस्कृत करने के लिए विभाग के साथ सहयोग करेगी। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट निपटान विधियों के साथ संरेखित होगा और राज्य में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के सरकार के मिशन में योगदान देगा। समझौता ज्ञापन स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग और अंबुजा सीमेंट्स की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे के प्रसंस्करण और निपटान, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और लैंडफिल उपयोग को कम करने के लिए अंबुजा सीमेंट की उन्नत तकनीक से लाभ होगा।

अंबुजा सीमेंट प्लांट राज्य के चंबा, कांगड़ा, शिमला और सोलन जिलों के गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का निष्पादन करेगा। वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 29 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों को चालू कर दिया गया है और इन इकाइयों के गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे को भी सह-प्रसंस्करण के लिए अंबुजा सीमेंट प्लांट में भेजा जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने कहा कि यह सहयोग स्वच्छ और हरित हिमाचल प्रदेश के ष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंबुजा सीमेंट्स के साथ साझेदारी करके, विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करते हुए स्थायी रूप से प्रबंधित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मंडी में बगलामुखी रोपवे जनता को किया समर्पित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे का शुभारंभ किया, जिसका निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से किया गया है। यह रोपवे चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जोकि बाखली में पंडोह को माता बगलामुखी मंदिर से जोड़ता है। इस रोपवे के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 मीटर लंबे रोपवे का 53.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया गया है और यह आधुनिक प्रोद्यौगिकी का अद्भुत प्रारूप है। यूरोपीयन सीईएन मानकों पर आधारित यह रोपवे एक घंटे में 21.6 किमी की दूरी तय करेगा तथा प्रति घंटे में 600 यात्रियों को ले जा सकेगा।

इस रोपवे से 14 किमी की अतिरिक्त दूरी कम होगी तथा श्रद्धालु और पर्यटक प्रकृति के मनोरम नजारों का भी आनंद ले सकेंगे। यह प्रदेश का एकमात्र रोपवे है जो पानी के ऊपर पंडोह बांध से होकर गुजरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोपवे यात्रियों को क्षेत्र के अनुपम सौंदर्य के दर्शन का अनुभव करवाएगा। प्रकृति की गोद में यह अनूठी विशेषता यात्रियों के रोमांच को बढ़ाएगी और यह उनके लिए बेहद यादगार पल साबित होंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि रोपवे से माता बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भी आशातीत वृद्धि होगी। इसके अलावा वन विभाग द्वारा निर्मित नेचर पार्क तक पहंचने में भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। कुल्लू मनाली, कसोल और लाहौल-स्पीति आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह एक आकर्षण का स्थल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से न केवल पर्यटकों को एक शानदार अनुभव मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि सतत पर्यटन को प्रोत्साहित और यात्रा समय को कम करने के साथ-साथ यह रोपवे क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करेगा। यह रोपवे अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है।मुख्यमंत्री ने माता बगलामुखी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, अध्यक्ष एपीएमसी मंडी संजीव गुलेरिया, अध्यक्ष एपीएमसी कुल्लू मियां राम सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान में भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर एक महान राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने भारतीय संविधान तैयार करते समय सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक हरीश जनारथा, अजय सोलंकी, सुदर्शन बबलू, मलेंदर राजन, हरदीप सिंह बावा, हंसराज और विनोद कुमार, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, पूर्व महापौर जैनी प्रेम और सोहन लाल, पार्षदगण, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नारी तू नारायणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 12 महिलाओं को किया सम्मानित

हिमाचल दस्तक
नारी तू नारायणी
सीजन - 3
हिमाचल दस्तक
नारी तू नारायणी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल दस्तक के 'नारी तू नारायणी' कार्यक्रम में प्रदेश की 12 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मानित किया। उन्होंने चंबा जिला की अंजना वकील, कांगड़ा जिला की सीमा कुमार चौधरी, ऊना जिला की मोनिका सिंह, हमीरपुर की चेतना शर्मा, बिलासपुर जिला की रचना कुमारी, मंडी की दीक्षा, कुल्लू जिला की अनिता ठाकुर, लाहौल-स्पीति जिला की रिगोजन छोइडोन, किन्नौर जिला की रतन मंजरी, शिमला जिला की कमला चौहान, सोलन जिला की नील कमल तथा सिरमौर जिला की खुशनुमा को सम्मानित किया।

सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमकिता प्रदान कर रही है तथा पिछले दो वर्षो में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज बेटियों में आत्म विश्वास बढ़ा है, जो हमारे समाज की बदलती सोच को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने हिमाचल दस्तक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह चुनौतियों का सामना करने वाली महिलाओं के सम्मान देने का उचित मंच है। उन्होंने कहा ''मैं पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में आया था। मैं इस आयोजन के लिए सलाम करता हूँ।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला की रतन मंजरी महिला अधिकारों के लिए पिछले कई वर्षो से लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में कानून के तहत महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा ''मैं महिलाओं को भी समान अधिकार देने का पक्षधर हूँ। किसी के अधिकारों को वंचित करना अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार इस दिशा में सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और सहमति बनाने के बाद कानून को बदलने से भी पीछे नहीं हटेंगे।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जलवायु को बचाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा यह एक सोच है और आने वाली पीढ़ियों को बचाने का प्रयास है। पांच राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्मित करने का कार्य शुरू हो चुका है और अन्यों का भी चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित और गायक एसी भारद्वाज ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं।

राजस्व एवं बागवानी मंत्री ने की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जलविद्युत क्षेत्र के विकास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत करवाया गया कि समिति ने गठन के बाद ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाओं की समीक्षा की है। समिति ने लंबित जलविद्युत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रदेश में लघु जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने से प्रदेश के राजस्व में बढ़ौतरी होगी तथा सामाजिक आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

बैठक में सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं व ऊर्जा राकेश कंवर, विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा, निदेशक ऊर्जा राकेश कुमार प्रजापति, हाइड्रो पावर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा, महासचिव एचएस ठाकुर, संयुक्त सचिव अजय ठाकुर और आस्था परियोजना के प्रबंध निदेशक केशव रेढ्ढी भी उपस्थित थे।

औद्योगिक विकास योजना के तहत 14वीं बैठक आयोजित

शिमला/शैल। औद्योगिक विकास योजना के तहत प्राप्त दावों के अनुमोदन के लिए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम की अध्यक्षता में 14वीं बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा बैठक में कुल 22 दावों को स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें प्लांट और मशीनरी में 132.12 करोड़ रुपये का कुल निवेश और 921 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।

इन मामलों में कुल सब्सिडी राशि 21.40 करोड़ रुपये अनुमानित है। इन मामलों को जल्द से जल्द धनराशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को पांच करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए 30 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

यह योजना उन इकाइयों के लिए लागू है जो 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक स्थापित या पर्याप्त विस्तार कर चुकी हैं।

बैठक में निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस, एचपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, पर्यटन, वित्त और उद्योग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन होटलों का नवीनीकरण करेगा पर्यटन विकास निगमः आर.एस. बाली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने कहा कि निगम ने 2022-23 में 109 करोड़ और 2023-24 में 105 करोड़ रुपये का टर्न ओवर पहली बार हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आपदा के बावजूद पर्यटन विकास निगम के होटलों में रिकॉर्ड कार्य हुआ।

उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम द्वारा पीटरहॉफ, होटल हॉलीडे होम और हमीर होटल का नवीनीकरण कार्य शुरू किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

'मेक माय ट्रिप' के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया गया है कि निगम उनके साथ मिलकर काम करेगा।

आर.एस. बाली ने कहा कि निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 35 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारियों का भुगतान किया है।

कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है।

...... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

विपक्ष के विरोध का जवाब उपलब्धियों के विज्ञापन

हिमाचल सरकार सत्ता में दो वर्ष होने पर बिलासपुर में एक राज्य स्तरीय आयोजन करने जा रही है। परन्तु विपक्षी दल भाजपा इस आयोजन को लेकर आक्रोश दिवस मनाने जा रही है। भाजपा ने पूरे प्रदेश में जगह-जगह रैलियां करके अपने रोष को जनआक्रोश की संज्ञा दे दी है। भाजपा जिस अनुपात में इन रैलिया का आयोजन कर रही है सुक्खू सरकार उसी अनुपात में अपनी दो वर्ष की उपलब्धियों को लगातार विज्ञापन जारी करके भाजपा को जवाब दे रही है। विज्ञापनों के माध्यम से आधिकारिक रूप से सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने आ रही है। अब जनता इन उपलब्धियां को अपने आसपास जमीन पर देखने का प्रयास करेगी और फिर सरकार को लेकर अपनी राय बनाएगी। सरकार लगातार अपने व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र का महिमा मण्डन कर रही है। सरकार ने पहले दिन विज्ञापन जारी करके अपनी एक बड़ी उपलब्धि लैंड सीलिंग एक्ट में पिछले वर्ष संशोधन करके बेटियों को उनका हक देने की बात की है। 1971 से लागू हुए लैंड सीलिंग एक्ट में 2023 में संशोधन किया गया है। विधानसभा से पारित होकर यह संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गया है। अभी तक राष्ट्रपति की इस संशोधन को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जब तक यह संशोधन राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाता है तब तक यह कानून नहीं बनता है। इस संशोधन की स्वीकृति के बाद कितना क्या कुछ खुलेगा यह अगली बात है। लेकिन अभी इस संशोधन को कानून का आकार लेने से पहले ही इस तरह से उपलब्धि गिनाना अपने में कई सवाल खड़े करता है। और भी जो-जो उपलब्धियां दर्ज की गई है उनके आंकड़े बहुत ज्यादा सरकार के 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

उपलब्धियां के विज्ञापनों से हाईकमान को प्रभावित किया जा सकता है लेकिन आम आदमी को नहीं जो जमीन पर भुक्तभोगी है। गांव में पता है कि किसके बच्चों को सरकार में नौकरी मिली है और किसके बच्चे की नौकरी चली गई। स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद खाली है और कितने अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। इस समय आवश्यकता सौ बीघा में खोले जा रहे राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की नहीं है बल्कि जो स्कूल चल रहे हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। जो अटल आदर्श विद्यालय खोले गये थे उनकी परफॉरमैन्स जनता के सामने रखने की आवश्यकता है। क्या वह सारे विधानसभा क्षेत्र में खोले जा चुके हैं? एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने पर कितना खर्च आयेगा? सभी विधानसभा क्षेत्र में यह स्कूल खोलने में कितने वर्ष लगेंगे? क्या अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल में जाने की इच्छा हर बच्चे और उनके मां-बाप की नहीं होगी? क्या हम इस तरह के प्रयोग शिक्षा जैसे क्षेत्र में सरकारी स्तर पर करके समाज में भेदभाव की नीव नहीं डाल रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य और न्याय तो सबको मुफ्त मिलना चाहिए क्या हम उसके लिये ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।

इस समय सरकार को हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है। यदि कर्ज की यही गति रही तो पांच वर्ष पूरे होने तक इतना कर्ज हो जायेगा कि आगे प्रदेश को चलाना कठिन हो जायेगा। इसलिए इस अवसर पर ऐसा बड़ा आयोजन करने की बजाये इस पर मंथन होना चाहिये था की आम आदमी को राहत कैसे उपलब्ध हो पायेगी। क्योंकि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के और वित्तीय संसाधन जुटाने के नाम पर केवल आम आदमी पर करों और कर्ज का बोझ ही बढ़ाया है। इस आयोजन के बाद सरकार के यह दावे सरकार के सामने सवाल बनकर खड़े हो जायेंगे यह तय है। विपक्ष के विरोध का जवाब दावों के विज्ञापन एक अच्छी राजनीति हो सकती है लेकिन जब यह दावे जमीन पर नजर नहीं आयेंगे तब स्थिति कुछ और ही हो जायेगी।

भारतीय लोकतंत्र और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है वैश्विक खिलाफत की काल्पनिक अवधारणा

गौतम चौधरी

वैश्विक खिलाफत की काल्पनिक अवधारणा उसी प्रकार गैरवाजिब है, जैसे पुरातनपंथी हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा। यह दोनों अवधारणा काल्पनिक है और आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व में इसका कोई स्थान नहीं है। दरअसल, आज इस बात की चर्चा इसलिए जरूरी है कि दुनिया के कुछ इस्लामिक चरमपंथियों ने एक बार फिर से वैश्विक खिलाफत की बात प्रारंभ की है। विगत कुछ वर्षों में भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में इस विचार के प्रेरित युवकों को असामाजिक व गैरराष्ट्रवादी गतिविधियों में संलिप्त देखा गया है। हाल के वर्षों में हिज्ब उत-तहरीर की गतिविधियों को लेकर भारत में चिंता बढ़ी है। पहले तो हमें हिज्ब उत-तहरीर को समझना होगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है, जिसका उद्देश्य इस्लामी खिलाफत को पुनः स्थापित करना है। इसका नाम अरबी में ''हिज्ब-उत-तहरीर'' है, जिसका अर्थ, ''मुक्ति की पार्टी'' है। वर्ष 1953 में एक फिलिस्तीनी इस्लामिक चरमपंथी, उकीउद्दीन नबहानी ने जेरूसलम में इसकी स्थापना की थी। हिज्ब-उत-तहरीर का दावा है कि वह राजनीतिक, बौद्धिक और वैचारिक तरीकों से काम करता है और हिंसा में कोई विश्वास नहीं करता लेकिन इसके कार्यकर्ता दुनिया के लगभग 50 देशों में हिंसक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। यहां तक कि कई इस्लामिक देशों में भी यह संगठन वहां की सत्ता के चुनौती बना हुआ है। संगठन का मानना है कि मुसलमानों को एक खलिफा के नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए, जो शरियत कानून के अनुसार शासन करे। इसका मुख्य उद्देश्य एक वैश्विक इस्लामी खिलाफत की स्थापना है, जो मुसलमानों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार नियंत्रित करे।

वस्तुतः इस संगठन का दावा और हकीकत दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक, ये संगठन गैर-सैन्य तरीकों से खिलाफत की पुनः स्थापना पर काम करता है। इसलिए कई देश, संगठन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हिज्ब-उत-तहरीर पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में बांग्लादेश और चीन के अलावा जर्मनी, रूस, इंडोनेशिया, लेबनान, यमन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। दुनिया के अन्य कई देश हिज्ब-उत-तहरीर इस संगठन पर निगरानी कर रहा है क्योंकि वहां की राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी यह चुनौती पैदा करने लगा है। इसके बावजूद, यह संगठन दुनिया के 50 से अधिक देशों में सक्रिय है। 10 लाख से अधिक इसके सक्रिय सदस्यों की संख्या बतायी जाती है। हिज्ब-उत-तहरीर का भारत में बहुत व्यापक आधार नहीं नहीं है लेकिन हाल के वर्षों में इसके प्रभाव और गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है।

हिज्ब-उत-तहरीर का मुख्य उद्देश्य एक इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना है, जो भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। हिज्ब-उत-तहरीर ने भारत में बहुत अधिक खुले तौर पर गतिविधियां नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट और सुरक्षा एजेसियों के अनुसार, यह गुप्त रूप से भारत में सक्रिय है। संगठन के सदस्यों पर भारत के विभिन्न हिस्सों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और खिलाफत की विचारधारा का आरोप लगा है। भारत में सुरक्षा एजेसियां इस संगठन पर नजर रखी है और इसकी संभावित नेटवर्क को रोकने के प्रयास करती है। इस क्रम में भारत सरकार ने हाल ही में इस कट्टरपंथी समूह को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। इसपर प्रतिबंध के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि हिज्ब-उत-तहरीर का लक्ष्य लोकतांत्रिक सरकार को जिहाद के माध्यम से हटाकर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक देश और खिलाफत स्थापित करना है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि हिज्ब-उत-तहरीर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर हिज्ब-उत-तहरीर को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के साथ, यह समझना महत्वपूर्ण है कि न केवल इसकी गतिविधियां भारतीय कानून के तहत अवैध हैं, बल्कि यह मूल इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ भी है। इससे भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए दोहरी दुविधा पैदा होती है। भारत का संविधान धर्म और राज्य के मामलों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना है। यह अपने सभी नागरिकों के लिए लोकतंत्र, मतदान और मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। हिज्ब-उत-तहरीर के सदस्यों की हरकतें, जिनमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के खिलाफ प्रचार करना, संविधान को चुनौती देना और शरिया कानून द्वारा शासित वैकल्पिक राज्यों को बढ़ावा देना शामिल है, जो अंतातोगत्वा देश के धर्मनिर्पेक्ष ताने-बाने को खतरे में डालेगा। लोकतंत्र के प्रति हिज्ब-उत-तहरीर का वैचारिक विरोध खुद को उन मूल सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा करता है, जिन्होंने मुसलमानों सहित विभिन्न समुदायों को भारत में शांतिपूर्वक सहअस्तित्व की अनुमति दी है। संविधान विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर संगठन न केवल मुसलमानों और बहुसंख्यक समाज के बीच दरार पैदा करता है, बल्कि एक अलगाववादी रवैये को भी बढ़ावा देता है, जो इस्लाम के सामाजिक सामंजस्य सिद्धांत के खिलाफ है।

हिज्ब-उत-तहरीर की गतिविधियां इस्लामिक शिक्षाओं का भी खंडन करती है। इस्लामिक चिंतकों के अनुसार, इस्लाम एक आस्था के तौर पर अराजकता से बचने को महत्व देता है। इस्लामिक राजनीतिक विचार में एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि किसी भी वैध इस्लामिक शासन को एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है, विशेष रूप से व्यापक सामुदायिक समर्थन वाले मुस्लिम शासक के नेतृत्व में ही यह संभव है। अराजकता के माध्यम से शासन बदलाजाना इस्लामिक राजनीतिक सिद्धांत के खिलाफ है। इस्लाम के पवित्र ग्रोंथ में इसके बारे में साफ चेतावनी दी गयी है। साफ तौर पर कहा गया है कि इस्लामी राज्य के लिए अनाधिकृत आहवान के जरिए फूट को बढ़ावा देने के बजाए स्थापित प्राधिकरण के जरिए एकता और न्याय को बनाए रखना ही बेहतर है।

वास्तव में दुनियाभर के इस्लामी विद्वानों ने नेतृत्वहीन आन्दोलन के खिलाफ चेतावनी दी है जो अशांति भड़का कर व्यवस्था बदलने की कोशिश करते हैं। हिज्ब-उत-तहरीर की तरह ये आन्दोलन न केवल समुदाय के हितों को नुकशान पहुंचाते हैं बल्कि समाजिक शांति और सदभाव प्राप्त करने के व्यापक इस्लामिक उद्देश्य के भी विपरीत हैं। हिज्ब-उत-तहरीर की वकालत के सबसे चिंताजनक पहलुओं में से एक मुस्लिम युवाओं पर इसका प्रभाव है, जो अक्सर अपने कार्यों के परिणामों को पूरी तरह से समझे बिना एक काल्पनिक इस्लामिक राज्य के वादे से बहक जाते हैं। हिज्ब-उत-तहरीर की विचारधारा से प्रभावित कई युवा मुस्लिम ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जो भारतीय कानून के तहत अवैध हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। ये युवा, समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनने के बजाय घोषित अपराधी बन जाते हैं। इस्लामी शासन के तहत बेहतर जीवन के हिज्ब-उत-तहरीर के वादे खोखले हैं, क्योंकि वे युवाओं को ऐसे रास्तों पर ढकेलते हैं, जो उन्हें अपराधी बना देता है।

मुस्लिम युवाओं को यह एहसास कराने की जरूरत है कि इस्लाम सामाजिक शांति को बाधित करने वाले कार्यों की वकालत नहीं करता है और हिंसक विरोध या संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आहवान उन्हें गुमराह कर रहा है। मौजूदा लोकतांत्रिक ढ़ांचे के भीतर सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी की ज्यादा जरूरत है, बजाए इसके कि एक अप्राप्य और विभाजनकारी लक्ष्य के लिए फालतू का प्रयास किया जाए, जो भारतीय कानून और इस्लामी सिद्धांतों दोनों के विपरीत हैं। इस मामले में यह जरूरी है कि मुस्लिम विद्वान, नेता और सामुदायिक संगठन हिज्ब-उत-तहरीर जैसे संगठनों द्वारा बताए गए आख्यानों का खंडन करे, जो न केवल अवैध है बल्कि धार्मिक रूप से भी गलत है। इस्लामिक शिक्षाएं मुसलमानों को अपने समाज में न्यायपूर्ण और सक्रिय भागीदार बनने, कानून के दायरे में अच्छाई को बढ़ावा देने और नुकशान को रोकने के लिए प्रोत्साहित करती है।

विभाजनकारी विचारधाराओं का शिकार होने के बजाए, मुस्लिम समुदाय को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ रचनात्मक जुड़ाव पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसमें मतदान, राजनीतिक भागीदारी और समान अधिकारों की वकालत शामिल है। विद्रोह या कट्टरपंथ के विनाशकारी परिणामों के बिना समुदाय का उत्थान हो सकता है। मुस्लिम युवाओं को यह समझना चाहिए कि सच्चा इस्लामी शासन न्याय, व्यवस्था और शांति पर आरूढ होता है। ये ऐसे मूल्य हैं जिन्हें भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के भीतर बरकरार रखा गया है। उथल-पुथल के इस दौर में कट्टरपंथी आहवानों को अस्वीकार करके, मुसलमान एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं, जहां वे अपने विश्वास या अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें।

भारत की डिजिटल क्रांति : अवसंरचना, शासन और सार्वजनिक सेवाओं में बदलाव

हाल के वर्षों में भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिससे देश डिजिटल समाधान अपनाने में वैश्विक लीडर के रूप में उभर कर सामने आया है। तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचारों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत का बुनियादी ढांचा लगातार विकसित हो रहा है। देश की डिजिटल रीढ़ को मजबूत करने, सरकारी सेवाएं प्रदान करने में पहुंच बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख पहल और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का परिदृश्य

भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का मुख्य आधार स्तंभ डेटा केंद्रों का विस्तार और विकास है। ये केंद्र क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज और एआई/एमएल अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन्स) की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का डेटा सेंटर उद्योग आईटी लोड क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद के साथ पर्याप्त विकास के लिए तैयार है, जो वर्तमान में लगभग 1000 मेगावॉट है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद जैसे शहरों में अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा केंद्र (एनडीसी) स्थापित किए हैं। ये केंद्र सरकारी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को शानदार क्लाउड सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। ये डेटा सेंटर आपदा या बुनियादी ढांचे की विफलता की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम और डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं, जिससे सरकारी कार्यो में सहूलियत होती है। एनडीसी में भंडारण की क्षमता लगभग 100पीबी तक बढ़ा दी गई है। इसमें सभी फ्लैश एंटरप्राइज क्लास स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और यूनिफाइड स्टोरेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्लाउड वर्कलोड का सहयोग करने के लिए लगभग 5,000 असाधारण सर्वर तैनात किए गए हैं। 200 रैक का एक और अत्याधुनिक एनडीसी (टियर III) असम के गुवाहाटी में स्थापित किया जा रहा है जिसे 400 रैक तक विस्तारित किया जा सकता है।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामने आने वाली अलग तरह की चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनडीसी-एनईआर) की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र के डिजिटल विभाजन को कम करना, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही विश्वसनीय, उच्च-प्रदर्शन डेटा भंडारण और क्लाउड सेवा बुनियादी ढांचा प्रदान करके सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है।

क्लाउड सेवाओं का विस्तारः एनआईसी और मेघराज की भूमिका

भारत का बढ़ता क्लाउड सेवा पारिस्थितिकी तंत्र इसके डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण रहा है। 2022 में शुरू की गई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) राष्ट्रीय क्लाउड सेवा परियोजना का संवर्धन, ई-गवर्नेंस सेवाओं के तेज और अधिक कुशल वितरण को सक्षम बनाते हुए राष्ट्रीय क्लाउड बुनियादी ढांचे को और उन्नत करना चाहता है। 300 से अधिक सरकारी विभाग अब क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास में योगदान दे रहे हैं।

जीआई क्लाउड (मेघराज) पहल का उद्देश्य केंद्र और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के सभी सरकारी विभागों को क्लाउड के माध्यम से आईसीटी सेवाएं प्रदान करना है, जिससे देशभर में क्लाउड पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह आईटी बुनियादी ढांचे का सबसे बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है और डिजिटल भुगतान, पहचान सत्यापन और सहमति-आधारित डेटा साझाकरण जैसे ई-सरकारी अनुप्रयोगों के विकास और फैलाव में तेजी लाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सरकारी विभागों की बढ़ती क्लाउड जरूरतों को पूरा करने के लिए क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) को सूचीबद्ध करने की पहल की है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई): एक गेम – चेंजर

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) अंतर्निहित डिजिटल सिस्टम को संदर्भित करता है जो सुलभ, सुरक्षित और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करता है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए पारंपरिक बुनियादी ढांचे की तरह डीपीआई ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख उपलब्धियों में आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आदि शामिल हैं। आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है। यह बायोमीट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है। यह डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करते हुए कभी भी-कहीं भी प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है। अब तक 138.34 करोड़ आधार नंबर बनाए जा चुके हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है। 30 जून 2024 तक इसने 24,100 करोड़ वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान की है। डिजीलॉकर एक डिजिटल दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म है। इसने 37.046 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान की है और 776 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा), दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का मंच है। दीक्षा के जरिए 22 जुलाई 2024 तक 556. 37 करोड़ शिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। इसने 17.95 करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन और 14.37 करोड़ पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य हासिल किया है।

अन्य महत्वपूर्ण मंचों में सरकारी खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), उमंग (सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना) और एपीआई सेतु (ओपन एपीआई के लिए) शामिल हैं। को-विन और आरोग्य सेतु टीकाकरण पर नजर रखने और ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने जो किसी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति के निकट रहे हों जैसे काम सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक रहे हैं। इसके अलावा भारत के डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन सेवा) ई-अस्पताल (अस्पताल प्रबंधन प्रणाली) और ई-अदालतें (न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए) शामिल हैं जो स्वास्थ्य सेवा और न्याय दिलाने में बदलाव ला रही हैं। पोषण ट्रैकर महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सेवाओं की निगरानी करता है, जबकि ई-ऑफिस सरकारी वर्कफ्ल को डिजिटल बनाता है। एनसीडी (राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग) प्लैटफॉर्म गैर-संचारी रोगों के प्रबंधन में सहायता करता है और इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया गया है। साथ ही 67 मिलियन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) नंबर बनाए गए हैं। कौशल विकास एसआईडीएच (स्किल इंडिया डिजिटल हब) द्वारा समर्थित है जो कौशल और आजीविका के लिए एक प्रमुख मंच है। इसके अतिरिक्त इंडिया स्टैक स्थानीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकसित डिजिटल समाधानों को प्रदर्शित करता है, जिसमें 493 समाधान सूचीबद्ध हैं। भारत के टेकेड (2021-2030 के दशक के लिए एक दृष्टिकोण जो देश की वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तकनीकी क्षमताओं, डेटा और जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने पर केंद्रित है) के तहत इन पहलों ने देश को डिजिटल सेवाओं में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जिससे लोगों और अन्य देशों विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) को लाभ हुआ है।

मार्च 2010 में स्वीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क है जिसे राष्ट्रीय और राज्य डेटा केंद्रों, राज्य-व्यापी क्षेत्र नेटवर्क और विभिन्न डिजिटल भारत उपक्रमों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सरकार-से-सरकार (जी2जी) और सरकार-से- नागरिक(जी2सी) सेवाओं, जिला कनेक्टिविटी में सहयोग करता है। साथ ही संसाधन साझाकरण और सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में ज्ञान संस्थानों को एक सूत्र में बांधता है। एनकेएन राष्ट्रीय सरकारी नेटवर्क (एनजीएन) और अनुसंधान एवं शिक्षा नेटवर्क (आरईएन) दोनों में कार्य करता है। नेटवर्क ने संस्थानों के साथ 1,803 लिंक और जिला केंद्रों के साथ 637 लिंक सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। इससे डिजिटल प्रशासन और ई-सरकारी सेवाओं की कुशल डिलीवरी संभव हो सकी है।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) :ग्रामीण भारत तक पहुंच

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रबंधित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पहल ने ग्रामीण भारत में ई-सेवाएं मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अक्तूबर 2024 तक देश भर में 5.84 लाख से अधिक सीएससी चालू हैं। इनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 4.63 लाख शामिल हैं। इस पहल ने सरकारी योजनाओं से लेकर शिक्षा, टेलीमेडिसिन और वित्तीय सेवाओं तक 800 से अधिक सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान की है।

नागरिक – केंद्रित डिजिटल सेवाएं

यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण पहल है। यह मोबाइल ऐप कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन सहित विभिन्न क्षेत्रों की सेवाओं को एकीकृत करता है। 7.12 करोड़ से अधिक यूजर्स के साथ उमंग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जुड़ने के तरीके को सुव्यवस्थित किया है, जिससे उन्हें आसान पहुंच और लेनदेन के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया गया है। उमंग अंग्रेजी और हिंदी सहित 23 भाषाओं (शीर्ष 100 सेवाओं के लिए) में उपलब्ध है। अब तक उमंग 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र और राज्य सरकारों के 207 विभागों से लगभग 2,077 सेवाएं प्रदान करता है। इसमें 738 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सेवाएं भी शामिल हैं।

मेरी पहचान मंच एक राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन(एसएसओ) सेवा लोगों को परिचय पत्रों के एक सेट का उपयोग करके विभिन्न सरकारी सेवाओं को प्रमाणित करने और उन तक पहुंचने का एक सहज तरीका प्रदान करता है। इस प्लैटफॉर्म पर 132 करोड़ से अधिक लेनदेन प्रोसेस किए हैं, जिससे सेवा वितरण में सुधार हुआ है और कई खातों और क्रेडेंशियल्स को प्रबंधित करने की जटिलताओं कम किया गया है। ई-हस्ताक्षर (ई-साइन) सेवा लोगों को दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाती है, जो वास्तविक हस्ताक्षर के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत विकल्प प्रदान करती है। सभी ईएसपी द्वारा कुल 81.97 करोड़ ई-साइन जारी किए गए हैं, जिनमें से 19.35 करोड़ ई-हस्ताक्षर परियोजना के तहत सीडीएसी द्वारा जारी किए गए हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना एपीआई सेतु सरकार की खुली एपीआई नीति के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती है, जो सरकारी कार्यप्रणालियों में निर्बाध डेटा आदान-प्रदान और सेवा वितरण को सक्षम बनाती है। 6,000 से अधिक एपीआई प्रकाशित किए गए हैं, जिससे 312.01 करोड़ से अधिक लेनदेन की सुविधा मिली है। पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र और सीबीएसई जैसी प्रमुख संस्थाओं सहित 1,700 से अधिक प्रकाशकों के साथ मंच 634 से अधिक उपभोक्ताओं को भी सेवा प्रदान करता है। माईगोव (MyGov) प्लैटफॉर्म भारत सरकार की नागरिक सहभागिता पहल है जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार, राय और प्रतिक्रिया साझा करने को प्रोत्साहन देता है। 4.89 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूजर्स के साथ MyGov पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और शासन में सक्रिय नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

सरकारी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन

कागज रहित शासन के सरकार की परिकल्पना के तहत डिजीलॉकर दस्तावेजों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक क्रांतिकारी प्लैटफॉर्म बन गया है। 37 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूजर्स के साथ डिजिलॉकर ने लोगों के दस्तावेजों तक पहुंचने और उन्हें प्रमाणित करने के तरीके को बदल दिया है।

एंटिटी लॉकर इस सेवा का विस्तार है जो डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहीत करने, साझा करने और सत्यापित करने के लिए सुरक्षित क्लाउड-आधारित मंच प्रदान करके संगठनों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को और बढ़ावा मिलता है।

कोलैब फाइल्स सरकारी अधिकारियों के लिए स्प्रेडशीट और टेक्स्ट फाइलों जैसे कार्यालय दस्तावेज बनाने, उसे प्रबंधित करने और साझा करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। यह ई-ऑफिस और एनआईसी ईमेल जैसे प्लैटफॉर्मो के साथ एकीकृत होता है और सरकार द्वारा जारी ईमेल आईडी के माध्यम से सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करता है। साथ ही डॉक्युमेंट्स शेयरिंग का रिकॉर्ड भी रखता है।

गोव ड्राइव एक क्लाउड-आधारित बहु उद्देश्यीय मंच है जो भारत सरकार के अधिकारियों के लिए सेवा के रूप में भंडारण की पेशकश करता है। यह उपकरणों में दस्तावेजों के सुरक्षित भंडारण, साझाकरण, समकालीन बनाने और प्रबंधन को सक्षम बनाता है, जिससे अधिकारियों को गोव ड्राइव एप्लिकेशन के माध्यम से फाइल और फोल्डरों को ऑनलाइन स्टोर करने, एक्सेस करने, संशोधित करने या हटाने की अनुमति मिलती है।

गोव इंट्रानेट प्लैटफॉर्म सरकारी अधिकारियों के लिए एक आधुनिक एवं सुरक्षित पोर्टल है, जो परिचय के माध्यम से सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) के साथ वर्कफ्लो प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह प्रभावी कैलेंडर प्रबंधन, कार्य असाइनमेंट, इवेंट प्लानिंग और सुरक्षित दस्तावेज साझाकरण को सक्षम करते हुए ईमेल, ई-ऑफिस और मंत्रालय प्रदर्शन डेशबोर्ड जैसे एप्लीकेशंस तक पहुंच प्रदान करता है। उन्नत यूआई/यूएक्स, मल्टी-प्लैटफॉर्म समर्थन और विजिटर पास के लिए स्वागतम एकीकरण और वर्चुअल मीटिंग के लिए भारतवीसी जैसी सुविधाओं के साथ यह निर्बाध संचार और समन्वय सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा नवाचार, समावेशिता और कार्यकुशलता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर और आधार, यूपीआई और डिजील कर जैसे उपक्रमों के माध्यम से भारत डिजिटलीकरण में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरा है। सरकारी मंचों के सहयोगात्मक प्रयास और निर्बाध नागरिक भागीदारी एक ऐसे डिजिटल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाता है, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और शासन को मजबूत करता है। यह डिजिटल क्रांति न केवल भारत की घरेलू क्षमताओं को बढ़ाती है बल्कि राष्ट्र को वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के लिए ठोस डिजिटल समाधान प्रदान करने में अग्रणी के रूप में भी स्थापित करती है। जैसे-जैसे भारत इस गति को आगे बढ़ा रहा है यह शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और आर्थिक विकास में संभावनाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

बागवानों के लिए वरदान साबित होगी एचपी शिवा परियोजना

शिमला। कृषि-बागवानी प्रधान राज्य हिमाचल प्रदेश ने उच्च तकनीक को अपनाकर किसानों-बागवानों की आजीविका के साधन एवं उनकी आय में बढ़ौतरी करने में सफलता हासिल की है। आज प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित फल, फूल, सब्जियों तथा उच्च मूल्य की नकदी फसलों का प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान है। एचपी शिवा परियोजना प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए एक वरदान साबित होगी, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 तक एचपी शिवा मुख्य परियोजना एशियन विकास बैंक के संसाधनों के साथ कुल लागत 1292 करोड़ रुपये के साथ अनुमोदित की गई है।

परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगडा, मंडी, सिरमौर, सोलन, एवं ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे 15 हजार से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे।

आगामी परियोजना की तैयारी हेतु 39 क्लस्टर स्थापित किए गए, 228 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जिससे 1250 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। मुख्य परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 257 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं व 162 सिंचाई योजनाएं विकसित की जानी प्रस्तावित हैं। परियोजना में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किये जाने वाले विनिर्माण कार्य जैसे कि भूमि तैयार करना, सोलर मिश्रित तार बाड़बंदी, ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाना व सिंचाई योजनाओं को लगाने के कार्य प्रगति पर हैं। इसके तहत 162 सिंचाई परियोजनाओं में से 121 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और 177 क्लस्टर स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सौर मिश्रित बाड़बंदी व भूमि तैयार करने के कार्य 73 क्लस्टरों में जारी है। एचपीशिवा मुख्य परियोजना के अंतर्गत गत दो वर्षों में लगभग 324 हेक्टेयर क्षेत्र उच्च घनत्व उपोष्ण कटीबंधीय फलों के अंतर्गत लाया जा चुका है। परियोजना में अभी तक कुल 122 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा इसमें से 106 करोड़ रुपये की अदायगी एशियन विकास बैंक द्वारा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 114 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3,687 बागवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने नवाजे 21 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक भव्य समारोह में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता 21 खिलाड़ियों को 14.77 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की। उन्होंने जिला ऊना से संबंध रखने वाले निषाद कुमार को 7.80 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। निषाद ने टोक्यो पैरालंपिक 2022 में रजत पदक, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक, पैरा एशियन गेम्ज चीन-2023 में स्वर्ण पदक तथा वर्ल्ड गेम्ज पुर्तगाल 2022 में रजत पदक हासिल किया था।

मुख्यमंत्री ने मंडी जिला से संबंध रखने वाले अजय कुमार को 2.50 करोड़ रुपये की नकद राशि प्रदान की। अजय कुमार ने पैरा एशियन गेम्ज चीन 2023 में रजत पदक जीता था। उन्होंने सिरमौर जिला की कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी को 33.32 लाख रुपये प्रदान किए। रितु नेगी ने एशियन गेम्ज चीन 2023 में भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान होते हुए स्वर्ण पदक जीता था। रितु नेगी ने एशियन गेम्ज जकार्ता 2018 में भी रजत पदक जीता था।

उन्होंने सिरमौर जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी पुष्पा को भी 33.32 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। कुमारी पुष्पा एशियन गेम्ज चीन 2023 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा थीं। सिरमौर जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी सुषमा शर्मा को भी इसी प्रतिस्पर्धा के लिए 33.32 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। बिलासपुर जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी निधि शर्मा को भी इसी प्रतिस्पर्धा के लिए 33.32 लाख रुपये प्रदान किए गए। सोलन जिला की कबड्डी खिलाड़ी कुमारी ज्योति को भी इसी प्रतिस्पर्धा के लिए 33.32 लाख रुपये प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्ज 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे ऊना जिला के कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज को 33.32 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। उन्होंने शिमला जिला की फेंसिंग खिलाड़ी ज्योतिका दत्ता को एशियन गेम्ज चीन 2023 और एशियन गेम्ज 2018 जकार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 लाख रुपये प्रदान किये। उन्होंने बिलासपुर जिला की हैंडबाल खिलाड़ी कुमारी दीक्षा, कुमारी शालिनी ठाकुर, कुमारी प्रियंका ठाकुर, कुमारी निधि शर्मा, सोलन जिला की कुमारी मिताली शर्मा, कुमारी भावना और कुमारी मेनका को एशियन गेम्ज चीन, 2023 में हैंडबाल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3-3 लाख रुपये प्रदान किए।

उन्होंने मंडी जिला से संबंध रखने वाली कुमारी अंजलि देवी को पैरा एशियन गेम्ज चीन, 2023 में बोशिया पैरा खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की।

उन्होंने जिला शिमला की क्रिकेट खिलाड़ी कुमारी रेणुका सिंह ठाकुर को कामनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में रजत पदक हासिल करने के लिए 13.32 लाख रुपये प्रदान किए। उन्होंने हमीरपुर जिला के विकास ठाकुर को राष्ट्रमंडल खेलों 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में भारोत्तोलन एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए 2 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के आशीष कुमार को कामनवेल्थ गेम्स, 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में बॉक्सिंग प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 लाख रुपये तथा हमीरपुर जिले के विजय कुमार ओलम्पियन शूटिंग खिलाड़ी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पदमश्री अजय ठाकुर तथा खेल जगत से जुड़ी हस्तियों को भी सम्मानित किया।

प्रदेश सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने पर कर रही विचार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'नि-क्षय अभियान' के तहत आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्यातिथि भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पोर्टेबल एक्स-रे मशीन से तपेदिक की जांच भी करवाई। उन्होंने इस अभियान के लिए समर्पित एक मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिनों तक चलने वाला यह अभियान हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीबी के मामलों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और समुदायों में जागरूकता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिसके तहत कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपने क्षेत्रों में नि-क्षय शिविर अभियान में सक्रियता से भाग लेने और लोगों को टीबी के लक्षणों को पहचानने और समय पर जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आहवान किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश
जन-जन का रखे ध्यान, TB-मुक्त भारत अभियान
नि-क्षय शिविर अभियान का शुभारम्भ
मुख्य अतिथि- सुखविंदर सिंह सुक्खू
माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
विशिष्ट अतिथि- कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल
माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश
दिनांक :- 07 दिसंबर
स्थान :- होटल हॉलिडे होम, शिमला
जन-जन का रखे ध्यान, TB-मुक्त भारत अभियान
नि-क्षय शिविर अभियान का शुभारम्भ

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश निकट भविष्य में टीबी मुक्त राज्य बनकर उभरेगा। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता के अलावा, मुख्यमंत्री टीबी उन्मूलन योजना के तहत 2 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य की 13 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की है, इसके दृष्टिगत वृद्धजनों के लिए प्रारंभिक निदान और रोकथाम आवश्यक है। उन्होंने बीमारियों की रोकथाम के लिए युवा पीढ़ी को जागरूक होने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रारम्भिक आयु से ही बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने पर विचार कर रही है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। अस्पतालों में आपातकालीन विभागों को स्तरोन्नत किया जा रहा है और चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि एक साल के भीतर राज्य के लोगों के लिए उन्नत निदान और उपचार सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए दृढ़ता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए सरकार सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के मासिक भत्ते को 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये और विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए एक लाख रुपये करने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की वन सम्पदा उत्तर भारत को प्राणवायु प्रदान करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के वनों के संरक्षण के प्रयासों को अधिमान देते हुए 'ग्रीन बोनस' प्रदान करने की अपील की। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सतत् भविष्य सुनिश्चित करने के दृष्टिगत हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में संशोधन कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई और टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित कीं। उन्होंने अभियान में योगदान देने वाली संस्थाओं और संगठनों को भी सम्मानित किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने सभी से टीबी के प्रति सतर्क रहने और शीघ्र उपचार के लिए समय पर जांच करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में टीबी जांच दर देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टीबी रोगियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। उन्होंने बल दिया कि टीबी को खत्म करने के लिए जन सहयोग बहुत जरूरी है। सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी ने नि-क्षय अभियान पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र कल्याण कोष में उदारतापूर्वक योगदान करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को फ्लैग लगाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र कल्याण कोष में अंशदान किया और लोगों से सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक योगदान का आहवान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों और सेवाओं को स्मरण करने तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। सशस्त्र बलों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है।

बागवानी मंत्री ने सीएसआर के तहत विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विद्युत कंपनियों शोरंग, जेएसडब्ल्यू और सतलुज जल विद्युत निगम के अधिकरियों के साथ समीक्षा बैठक की।

जगत सिंह नेगी ने बैठक में कंपनियों को सीएसआर के तहत मिलने वाले वार्षिक बजट की राशि की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्थानीय पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्य किए जाएं। उन्होंने शोरंग कंपनी को छोटा खंभा में विद्यालय के मैदान का निर्माण करने के निर्देश भी दिए ।

जगत सिंह नेगी ने जेएसडब्ल्यू द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने स्कूलों को कबड्डी मैट, बाक्सिंग रिंग, टेबल टेनिस, जिम उपकरण और वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम को निर्देश दिए कि कल्पा में कृत्रिम व सिन्थैटिक आइस उपलब्ध करवाकर स्केटिंग को प्रोत्साहित करें ताकि विद्यार्थी गर्मियों में भी स्केटिंग कर सकें। इससे पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

बैठक में हिमाचल शोरंग कंपनी के महाप्रबंधक विनोद कुमार, प्रबंधक ललित मोहन, जेएसडब्ल्य फाउंडेशन के डीजीएम दीपक डेविड और सतलुज जल विद्युत निगम के महाप्रबंधक अवधेश प्रसाद भी उपस्थित रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण पहल

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य भर में निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के साथ एक महत्त्वपूर्ण साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य इको-सेंसिटिव व ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा अलगाव, रीसाइक्लिंग और इको-फ्रेंडली निपटान के लिए बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना है।इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग और गैर सरकारी संगठन हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के बीच औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत निरंतर प्रयास कर रही है।

निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा ने कहा कि यह साझेदारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग समुदायों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी एक टिकाऊ और स्केलेबल म डल बनाने के लिए प्रयासरत है।

हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप सांगवान ने कहा कि फाउंडेशन नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहन करने और समुदायों को इको-फेंडली जीवनशैली अपनाने में सक्षम बनाने के मिशन को मजबूती मिलेगी।

यह पहल राज्य के ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। सरकार और अनुभवी गैर-सरकारी संगठन के प्रयासों से राज्य ग्रामीण कचरा प्रबंधन में एक बेंचमार्क स्थापित करने की ओर अग्रसर है।

आगामी बजट में विशेष बच्चों के कल्याण के लिए लाई जाएगी नई योजनाः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के हीरानगर में 6.67 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विशेष आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश का पहला ऐसा विशेष आवासीय स्कूल है जो 6-18 वर्ष की आयु के बौद्धिक रूप दिव्यांग बच्चों के लिए निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क गुणात्मक शैक्षणिक और व्यवसायिक शिक्षा सहित आवासीय सुविधाओं से युक्त यह प्रदेश का पहला संस्थान है। स्कूल ब्लॉक में आधुनिक सुविधाओं वाली 16 कक्षाओं सहित कम्प्यूटर लैब, संगीत कक्ष, एक बहुउद्देशीय हॉल, हॉस्टल ब्लॉक में 50 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ-साथ चिकित्सा कक्ष तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश निराश्रित बच्चों की उचित देखभाल एवं शिक्षा के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू कर उन्हें 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत गत दो वर्षों में प्रदेश में 38.50 करोड़ रूपये के लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार के पहले बजट में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की गई। दूसरे बजट में प्रदेश में विधवाओं के 23 हजार बच्चों को शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। तीसरे में बजट में बौद्धिक रुप से दिव्यांग बच्चों के लिए विस्तृत योजना का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए इन बच्चों के अध्यापकों से भी चर्चा की जाएगी, ताकि उनकी जरूरतों का समावेश योजना में किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान है और इसी को देखते हुए जिला सोलन के कंडाघाट में नौ हजार दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार जिला मंडी के सुंदरनगर और कांगड़ा जिला के लुथान में 92.33 करोड़ रुपए की लागत से 400 आश्रितों की आवासीय क्षमता के मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसरों का निर्माण कर रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ.) कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार इस स्कूल में विशेष बच्चों को अच्छे वातावरण में शिक्षा प्रदान करेगी, ताकि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके और वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों को 1150-1700 रुपए मासिक भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज इस स्कूल का शुभारंभ किया गया है और सरकार यहां पर विशेष बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस विशेष स्कूल में हर क्लास स्मार्ट होगी और फर्नीचर की भी उचित सुविधा प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने गृह रक्षा विभाग के 15.05 करोड़ रुपये के भवनों का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गृह रक्षा विभाग के 15.05 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विभिन्न भवनों का लोकार्पण किया। इसमें जिला शिमला में 3.15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गृह रक्षा बटालियन प्रशिक्षण केंद्र पराला, जिला सिरमौर में 73 लाख रुपये से निर्मित गृह रक्षा 4/2 कम्पनी कार्यालय पांवटा साहिब, 81 लाख रुपये से निर्मित गृह रक्षा 4/4 कम्पनी कार्यालय रेणुका जी, 81 लाख रुपये से निर्मित गृह रक्षा 4/6 कम्पनी कार्यालय मोगीनंद, 81 लाख रुपये की लागत से निर्मित गृह रक्षा 4/7 कम्पनी कार्यालय कफोटा, जिला मंडी में 43 लाख रुपये की लागत से निर्मित गृह रक्षा 6/6 कम्पनी कार्यालय करसोग, जिला कुल्लू के शाड़ाबाई में 68 लाख रुपये से निर्मित कमांडेंट आवास, 1 करोड़ रुपये से निर्मित गृह रक्षा 7/6 कम्पनी कार्यालय आनी, जिला शिमला में 61 लाख रुपये से निर्मित गृह रक्षा 3/5 कम्पनी कार्यालय सुन्नी और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान शरगीण में 6.2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छात्रावास एवं बैरिक शामिल हैं।

प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के आटे को 'हिमभोग' ब्रांड से बाजार में उतारेंगे :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को 'हिमभोग' ब्रांड के साथ बाजार में उतारेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस ब्रांड का शुभारम्भ किया जाएगा और इसे बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्राकृतिक खेती से जुड़े 1506 किसान परिवारों से 4000 क्विंटल से अधिक मक्की की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों से यह खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला से सर्वाधिक 1140 क्विंटल, चम्बा से 810 क्विंटल तथा मण्डी से 650 क्विंटल मक्की की खरीद की जा चुकी है।

सुक्खू ने कहा, ''वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में प्रा तिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश गेहूं और मक्की की सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से गेहूं 40 रुपये और मक्की 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद का कार्य शुरू हो चुका है।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 35000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है जिससे 1.98 लाख किसान जुड़े हैं। इन किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने डेढ़ लाख से अधिक किसानों का निःशुल्क प्रमाणीकरण भी किया है तथा इस वर्ष 36000 किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए 10 मंडियों में आधारभूत ढांचा विकसित कर रही है ताकि उन्हें अपना उत्पाद बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कृषि को रोजगार से जोड़ना 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का तीसरा चरण है।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है और लोगों की आर्थिकी में इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसी लिए सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार सीधे तौर पर पैसा किसान के हाथों तक पहुंचाना चाहती है ताकि वे आर्थिकी रूप से सशक्त बन सकें और खेती उनकी आय का नियमित स्रोत बन सके। हमने न सिर्फ प्राकृतिक खेती के उत्पादों को समर्थन मूल्य दिया है बल्कि गाय का दूध 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। हमने मनरेगा की दिहाड़ी में ऐतिहासिक 60 रुपये की वृद्धि कर इसे 300 रुपये किया है। ये सारे प्रयास ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किए गए हैं।''

2 करोड़ 18 लाख से होगा डल झील का पुनरुद्धार

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की।

उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि धर्मशाला स्थित डल झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आनंद मल्लिगवाड फाउंडेशन की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसकी अनुमानित राशि 2 करोड़ 18 लाख 72 हजार 164 रुपये है। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

केवल सिंह पठानिया ने बताया कि डल झील कांगड़ा जिले के मैकलोडगंज-नढी सड़क मार्ग पर धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी डल झील से हजारों लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में फैली डल झील में भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर भी है, जिसे लेकर मान्यता है कि यह 200 साल से अधिक पुराना है। हर वर्ष यहां 15 से 35 हजार श्रद्धालु आते हैं।

उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों में झील के जलस्तर में तेजी से कमी आई है। नगर निगम, आईआईटी, मंडी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा झील को संरक्षित करने के प्रयास किए गए लेकिन झील को उसके पूर्व स्वरूप में नहीं लाया जा सका। पानी की कमी को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए फिलहाल जल शक्ति विभाग झील में पानी छोड़ रहा है।

पौंग बांध विस्थापितों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने राजस्व मंत्री को सौंपी रिपोर्ट

शिमला/शैल। पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास डॉ. संजय कुमार धीमान, उपमंडलाधिकारी ज्वाली विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा कर्म चंद कालिया शामिल रहे।

डॉ.संजय कुमार धीमान की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में 6,736 परिवारों को भूमि आवंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा अधोसंरचना संबंधित समस्याओं और अन्य सुविधाओं के लिए शिकायत निवारण सेल गठित करने का भी सुझाव दिया है।

उन्होने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 18 अक्तूबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि पौंग बांध विस्थापित 6,736 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटन किया जाना है। समिति ने 25 से 27 अक्तूबर, 2024 तक राजस्थान के रामगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ और नाचना का दौरा कर विस्थापित परिवारों के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

संजय कुमार धीमान ने बताया कि केंद्र सरकार के सचिव जल संसाधन के साथ बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा और प्रभावित परिवारों के लिए उदारवादी मदद का आग्रह किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा भी अगले माह राजस्व विभाग के साथ मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पौंग बांध परियोजना के लिए वर्ष 1966-67 में 75,268 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस परियोजना के लिए 339 गांवों का अधिग्रहण किया गया और 20,722 परिवार प्रभावित हुए। भूमि आवंटन के लिए 16,352 परिवार पात्र पाए गए। 4,370 परिवारों के पास भूमि नहीं थी जोकि प्लॉट आवंटन के लिए पात्र पाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा 15,385 परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। 6,736 परिवारों का अभी पुनर्वास किया जाना है।

बागवानी विकास परियोजना के दूसरे चरण के लिये तैयार किया जाएगा प्रस्ताव:बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। विश्व बैंक के टीम लीडर बेकजोड ने राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की। इस दौरान प्रदेश के बागवानों-किसानों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। बागवानों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध करवाने, सिंचाई, परिवहन, विपणन और भंडारण की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, फसलों के बेहतर दाम और पुराने पौधों की जगह नए पौधे लगाने पर भी विशेष चर्चा की गई। वहीं सेब उत्पादक राज्यों से प्रदेश के बागवानों के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए भी कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इस परियोजना में बागवानी, कृषि और पुशपालन जैसी गतिविधियों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

बेकजोड ने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बागवानी विकास परियोजना में प्रदेश ने बेहतरीन समन्वय से कार्य किया है और वह आगे भी प्रदेश सरकार के साथ इस परियोजना में बागवानों-किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी प्रदेश सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने के लिए तत्पर हैं।

बागवानी मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

इस मौके पर सचिव बागवानी सी पालरासू, बागवानी विकास परियोजना व एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोख्टा और निदेशक बागवानी विनय सिंह उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

व्यवस्था परिवर्तन के दो वर्ष पूर्ण होने पर सुक्खू सरकार करेगी छ:नई योजनाएं शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के लुहणू मैदान में राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही विशाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को इस रैली के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह रैली 11 दिसंबर को प्रात: 11 बजे आरंभ होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली में 30 हजार से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस समारोह का आयोजन 'व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल' थीम पर किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रबंध रैली में आने वाले लोगों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन बिलासपुर को वाहनों की समुचित व्यवस्था करने तथा यातायात के सुचारू संचालन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने रैली में आने वाले लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा खाद्य सामग्री की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर छ: नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी, विधवाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना, हिम भोग आटा, गोबर की खरीद योजना और प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद के लिए संबंधित किसानों को धन हस्तांतरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त पांच आयुष मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुरानी पैन्शन योजना और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित भी किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजीव शुक्ला समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा और अन्य प्रशासनिक सचिव बैठक में उपस्थित थे, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर से आभासी माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

प्रदेश सरकार द्वारा हिस्सेदारी की अदायगी में देरी से रेलवे का निर्माण कार्य प्रभावित

शिमला/शैल। केन्द्रीय रेल मन्त्री अश्वनी वैष्णव ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया की रेलवे मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अम्ब अन्दौरा, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर और शिमला रेलवे स्टेशनों का चयन किया है जिसके अन्तर्गत अम्ब अन्दौरा, बैजनाथ स्टेशनों के पुनर्विकास के टैन्डर अवार्ड कर दिये गये हैं और स्टेशन भवनों के पार्किंग क्षेत्र, वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स, सर्कुलटिंग एरियाज और बरामदों के सुधार, विकास कार्यों को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया की पालमपुर और शिमला स्टेशन को मास्टर प्लानिंग के अंतर्गत कवर किया गया है जिसके अंतर्गत इन स्टेशनों में अतिआधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी जिसमे सिटी सैन्टर विकसित करना, स्टेशन को दोनों तरफ से जोड़ना, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया की दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या के अनुरूप उचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा इस स्टेशन पर वेटिंग हॉल, हाई लेवल प्लेटफार्म, शैल्टर, टॉयलेट्स, युरिनल्स आदि मुलभुत सभी सुविधाएं विद्यमान हैं।

उन्होंने बताया की चालू बित वर्ष के लिए उत्तर रेलवे को यात्री सुविधाओं के लिए 3448.34 करोड़ रूपये आबंटित किये गए हैं।

उन्होंने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को संसद में बताया की हिमाचल प्रदेश में 13,168 करोड़ लागत की 255 किलो मीटर लम्बी रेलवे लाइनों के निर्माण में से 6225 करोड़ रूपये की लागत से 61 किलोमीटर रेलवे लाइनें निर्मित की जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया की 63.5 किलो मीटर लम्बी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन और 30 किलो मीटर लम्बी चण्डीगढ-बद्दी रेलवे लाइन को राज्य सरकार के साथ सांझा खर्चे के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है और इन रेलवे लाइनों में 63.5 किलोमीटर भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन में कुल 124.02 हैक्टेयर जमीन में से अब तक 79.57 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है तथा उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा इस परियोजना पर अब तक 5205 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से की 1351 करोड़ की देनदारी बकाया है।

उन्होंने बताया की 30 किलो मीटर लम्बी चण्डीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन पर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अब तक इस परियोजना पर कुल 727 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं जबकि इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से की 146 करोड़ की देनदारी बकाया है। उन्होंने बताया की हिमाचल सरकार द्वारा अपने हिस्सेदारी की अदायगी में देरी से इन परियोजनाओं के निर्माण में देरी हो रही है और इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की अहम भूमिका है।

उन्होंने बताया की हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली रेलवे लाइनों के लिए चालू बित वर्ष के लिये 2698 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जोकि वर्ष 2009-14 के मुकाबले 25 गुना ज्यादा है।

दिव्यागों के हितों की अनदेखी पर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की लताड़

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिव्यागों के हितों की अनदेखी पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लताड़ लगाये जाने पर कहा कि हिमाचल सरकार को जनहित व प्रदेशहित की अनदेखी करने के चलते न्यायपालिका से लगातार फटकार खाने की आदत पड़ चुकी है, फिर भी इनके रवैये में किसी प्रकार का सुधार नहीं है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा की इस सरकार की विफलता और अजीबो ग़रीब फ़ैसले जगहंसाई का कारण बन रहे हैं। इनकी नीतियों से जनता में भारी रोष और आक्रोश तो है ही साथ ही न्यायपालिका भी आये दिन इन्हें फटकार लगा रही है। क्या हाईकोर्ट और क्या सुप्रीम कोर्ट सारे ही कांग्रेस की इस फेल सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सामान्य जनता तो दूर दिव्यांगों के हितों के प्रति यह सरकार गंभीर नहीं है। ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यागों के हितों की अनदेखी पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। यह सरकार इतनी कर्तव्यविहीन है कि दिव्यागों के हितों की पैरवी के लिए एक वकील तक सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं कर पायी। सुप्रीम कोर्ट की यह लताड़ पूरी कांग्रेस सरकार के लिए शर्मसार करने वाला है मगर शर्म है कि इन्हें आती नहीं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस सरकार की न्यायपालिका से फटकार की फेरहिस्त बहुत लंबी है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बजाये हतोत्साहित कर रही है। इस निकम्मी सरकार ने हिमाचल की बेटी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी पूजा ठाकुर को नौकरी देने की बजाये दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया जिस पर कोर्ट ने इन्हें जमकर लताड़ा। कांग्रेस की लापरवाही में चलते हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में हिमाचल की आन-बान-शान हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया जाना इस कांग्रेस सरकार की कार्यपद्धति पर काला धब्बा था। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा सफ़ेद हाथी के रूप में पाले, कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन से घाटे में चल रहे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों पर ताला लगाने का आदेश दिया था जोकि यह दिखाता है कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। देवभूमि हिमाचल कभी पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य था मगर हाईकोर्ट की टिप्पणी दिखाती है कि कांग्रेस सरकार ने अपनी नीतियों से प्रदेश की टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी हताश-निराश रखा है। महाधिवक्ताओं की इतनी बड़ी फ़ौज होने के बाद भी यह सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठे रही है। यह सरकार जनता के साथ-साथ लोकतंत्र के सभी स्तंभों में से एक भी स्तंभ को संतुष्ट करने में पूरी तरह नाकाम रही है, मगर बेशर्मी के साथ दो साल के कार्यकाल का उत्सव मनाने में पूरी तरह जुटी है।